

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली
उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल

माननीय प्रबन्ध परिषद् की चतुर्थ बैठक (आकस्मिक) का कार्यवृत्त



दिनांक 28.12.2017

समय 11.30 बजे पूर्वाह्न

स्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून

प्रबन्ध परिषद् की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त

(Minutes of the 4th Meeting of the Board of Management)


वी०च०सि०ग० उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार की प्रबन्ध परिषद् की चतुर्थ बैठक दिनांक 28 दिसम्बर 2017 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थान - भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून, कौलागढ़ रोड, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रबन्ध परिषद् के अध्यक्ष प्रो० सी०एम० शर्मा द्वारा की गई।

प्रबन्ध परिषद् की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

- | | |
|---|------------|
| 1. प्रो० सी० एम० शर्मा, कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. श्री डी. सैथिल पांडियन
सचिव, कृषि एवं कृषि शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| 3. डा० पी० के० मिश्रा, निदेशक, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान (आई०सी०ए०आर० प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 4. डा० गौरी शंकर, निदेशक, कृषि, कृषि निदेशालय, देहरादून | सदस्य |
| 5. डा० एस० एस० बिष्ट, निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 6. डा० कमल सिंह, पशुधन प्रजनक | सदस्य |
| 7. डा० अरविन्द शुक्ला, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक | सदस्य |
| 8. डा० एम० सी० नौटियाल, जाने माने उद्योगपति या उत्पादक | सदस्य |
| 9. श्री विजय सिंह जड़धारी, प्रगतिशील किसान | सदस्य |
| 10. सुश्री रंजना रावत, उल्लेखनीय महिला सामाजिक कार्यकर्ता | सदस्य |
| 11. डा० वी० पी० खण्डूडी, कुलसचिव | सदस्य सचिव |

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय की आज्ञा से कुलसचिव द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् सभी सदस्यों ने अपना परिचय दिया। इसके उपरान्त सदन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।


08/01/18


08/01/2018


प्रस्ताव सं० 2017:04:01

उत्तराखण्ड शासन के कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 880/XIII(II)/2017-09(12)/2014 दिनांक 30 अक्टूबर 2017 के क्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन हेतु सर्च कमेटी में प्रबन्ध परिषद् से एक सदस्य नामित किए जाने के सम्बन्ध में।

कार्यसूची (Agenda) के प्रस्ताव सं० 2017:04:01 को माननीय प्रबन्ध परिषद् के विचार हेतु प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय/अध्यक्ष, माननीय प्रबन्ध परिषद् इस प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व बैठक से उठकर बाहर चले गये। तत्पश्चात माननीय प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से श्री डी. सैथिल पांडियन, सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने पर श्री डी. सैथिल पांडियन का नाम सर्च कमेटी हेतु माननीय सदस्य डा० कमल सिंह द्वारा प्रस्तावित किया गया। श्री पांडियन का नाम सर्च कमेटी के सदस्य के रूप में आने पर माननीय प्रबन्ध परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से डा० पी० के० मिश्रा, निदेशक भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया। डा० पी० के० मिश्रा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर पुनः श्री डी. सैथिल पांडियन के नाम का प्रस्ताव माननीय सदस्य डा० कमल सिंह द्वारा प्रस्तावित किया गया तथा प्रस्ताव का अनुमोदन श्री विजय सिंह जड़धारी, श्री एस० एस० विष्ट एवं अन्य सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से किया गया। अतः प्रबन्ध परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से श्री डी. सैथिल पांडियन, सचिव, कृषि एवं कृषि शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को वी०च०सि०ग० उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के कुलपति चयन हेतु गठित की जाने वाली सर्च कमेटी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया।

प्रस्ताव सं० 2017:04:01 पर चर्चा पूर्ण होने पर कुलपति प्रबन्ध परिषद् की बैठक में पुनः उपस्थित हो गये।


08/01/18



08/01/2018


प्रस्ताव सं० 2017:04:02

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कुलसचिव वी०च०सि०ग० उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार द्वारा विश्वविद्यालय में उच्चस्थ पदों (यथा डीन, डायरेक्टर, सहायक निदेशक, संयुक्त निदेशक व अन्य आवश्यक पदों) पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से एक वर्ष तक नियुक्ति करने का प्रस्ताव माननीय प्रबन्ध परिषद के विचारार्थ रखा गया।

प्रस्ताव सं० 2017:04:02 पर माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा कुलपति को उच्चस्थ पदों (यथा डीन, डायरेक्टर, सहायक निदेशक, संयुक्त निदेशक व अन्य आवश्यक पदों) पर आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय परिनियमावली 2014 (यथा संशोधित) के परिनियम 08(क)(दस) के अनुरूप प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति करने की अनुमति सहर्ष प्रदान की गई।


08/01/18
कुलसचिव / सदस्य सचिव
प्रबन्ध परिषद


08/01/2018
कुलपति / अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद